

पत्रांक सं० एफ.सी./मु.जी./सि.नं०/20269/2016

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक: सा०-285 / मी०क्ष० / 33/ दिनांक, मीरजापुर, जनवरी 17 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
 रेनूकूट वन प्रभाग।

विषय-

सोनभद्र के कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनूकूट वन प्रभाग के 130.675 हे० आरक्षित वन भूमि की गैर वानिकी प्रयोग हेतु बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू०पी०/०२/३१/२०१८/एफ०सी०/४५ दिनांक रहित तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक 2982/११-सी/ दिनांक 24.04.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 5489/मी०/३३/दिनांक 29.05.2018 पत्रांक 5702/मी०/३३/दिनांक 11.06.2018 पत्रांक 5869/मी०/३३/दिनांक 22.06.2018 पत्रांक 350/मी०/३३/दिनांक 19.07.2018 पत्रांक 933/मी०/३३/दिनांक 04.09.2018 पत्रांक 2470/मी०/३३/दिनांक 26.12.2018 तथा आपका पत्रांक 2458/रेनूकूट/१५-११७, दिनांक 11.01. 2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयक के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। आप द्वारा अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार के अन्य पत्र दिनांक 20.08.2018 की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र की आख्या तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किया जा सके।

भवदीय

(डा० प्रभाकर दूबे)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या

अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग ओबरा को सन्दर्भित पत्र के कम में प्रश्नगत मामले की आख्या तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा० प्रभाकर दूबे)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर